# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

प्रकरण संख्या :– 89/2025 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2025/290

1. रामप्रसाद शर्मा पुत्र भौरीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:प्रार्थी:–

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. जमना देवी पत्नी रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी खेमराज की ढाणी श्यामपुरा कचोलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. रामकल्याण पुत्र बिरदीचन्द जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी श्यामपुरा कचौलिया, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. हनुमान सहाय पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. सुखवंत सिंह कंग पुत्र गुरुदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 45 जयपुरिया हॉस्पिटल के पास, मिलापनगर जयपुर जिला जयपुर।
6. कजोडमल पुत्र सूरजमल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी निवासी श्यामपुरा कचौलिया, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. बिरदीचन्द पुत्र रानू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी निवासी श्यामपुरा कचौलिया, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:अप्रार्थीगण:–

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित:–श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत, एड0–प्रार्थी।

दिनांक 31/10/2025

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 308 खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7334 है0 वाके ग्राम श्यामपुराकचौलिया पटवार हल्का श्यामपुराकचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 26.05.2025 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 308 खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7334 है0 वाके ग्राम श्यामपुराकचौलिया पटवार हल्का श्यामपुराकचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 26.05.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीया संख्या 2 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ./2025/4331 दिनांक 07.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।

3. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 26.05.2025 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नया 308 खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7334 है0 वाके ग्राम श्यामपुराकचौलिया पटवार हल्का श्यामपुराकचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की।

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नया 308 खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7334 है0 वाके ग्राम श्यामपुराकचौलिया पटवार हल्का श्यामपुराकचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना सावित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 26.05.2025 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 07.07.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थी सावित है कि प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर



Scanned with OKEN Scanner

ीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 26.05.2025 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :– *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In e of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such os are not available, on the basis of actual possession.*

*if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable atisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been ained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months vious to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and ll then fix the boundary accordingly-*

*.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land ords Officer in the manner laid down in section 111.*

त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया चुका है। इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित त होता है। अतः

*आदेश है कि*

*प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या नया 308 खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7334 है0 वाके ग्राम श्यामपुराकचौलिया पटवार हल्का श्यामपुराकचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 26.05.2025 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।*

*यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।*

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते